

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान, जयपुर।  
(स्वास्थ्य भवन)

दुरभाष नम्बर-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com

क्रमांक:- नर्सिंग/मस्वाका/V-105 21637/जोन-जोधपुर /2024/ 178 दिनांक:- 22/4/24

—: आदेश :-

श्रीमति वर्षा डेला, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बायतु (बाडमेर) को निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 546 दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण हेतु अवकाश स्वीकृत किया गया था में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 13.04.2020 से 03.08.2020 तक 113 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 04.08.2020 से 07.01.2021 तक 157 दिवस का प्रसुति अवकाश।
4. दिनांक 08.01.2021 से 14.01.2021 तक 07 दिवस का उपार्जित अवकाश।
5. दिनांक 15.01.2021 से 21.09.2021 तक 249 दिवस का असाधारण अवकाश

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/मस्वाका/V-105 21637/जोन-जोधपुर /2024/ 178 दिनांक:- 22/4/24  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन- जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बायतु को प्रेषित कर लेख है कि अवकाश वेतन का समायोजन अंतिम रूप से स्वीकृत अवकाशों के वेतन से कर लिया जावेगा अर्थात् यदि अवकाश वेतन के रूप में राशि का भुगतान अधिक कर दिया गया हो तो वह वसूल की जायेगी अथवा कोई राशि देय बनती है तो उसका भुगतान किया जावेगा
4. संबंधित कार्रमिका को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राज0 जयपुर।

RajKaj Ref  
6634793



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation: [Redacted]  
Date: 2024.04.22 08:07:35 IST  
Reason: Approved